POLICE COMMISSIONERATE

GAUTAM BUDH NAGAR

सराहनीय कार्य /प्रेस विज्ञप्ति - दिनांक 15.05.2026

1. थाना सेक्टर-142 पुलिस द्वारा मोबाइल फोन व लैपटॉप चोरी करने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी के 18 मोबाइल फोन, 02 लैपटॉप, 01 टैबलेट व 01 इलेक्ट्रिक स्कूटी बरामद।

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक **15.05.2026** को **थाना सेक्टर-142 पुलिस** द्वारा चेकिंग के दौरान अभियुक्तगण 1. महेन्द्र पुत्र वेदप्रकाश 2. जुनैद उर्फ बिट्टू पुत्र आलम को एफएनजी रोड के सर्विस रोड से **गिरफ्तार** किया गया है। कब्जे से चोरी के 18 मोबाइल फोन, 02 लैपटॉप, 01 टैबलेट व 01 इलेक्ट्रिक स्कूटी बरामद की गई है।

अपराध करने का तरीका-- अभियुक्तगण द्वारा साप्ताहिक बाजार व बस्तियों में खुली खिड़कियों पर रखे मोबाइल फोन, लैपटॉप, टैबलेट आदि की रेकी कर चोरी कर ली जाती है। चोरी किए गए मोबाइल, लैपटॉप व टैबलेट को सस्ते दामों में राह चलते व्यक्तियों को बेचकर अपने शौक व मौज-मस्ती में खर्च कर देते हैं तथा उक्त अपराध के लिए प्रयोग की गयी स्कूटी दिनांक 16.01.2026 को एडवांट गेट नम्बर-01 के पास थाना सेक्टर-142 क्षेत्र से चोरी की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना सेक्टर-142 पर मु0अ0सं0-30/2026 धारा 303(2) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण--

1- महेन्द्र पुत्र वेदप्रकाश निवासी गली नं0-30, नगली वाजिदपुर, थाना एक्सप्रेसवे, नोएडा, उम्र 27 वर्ष।
2- जुनैद उर्फ बिट्टू पुत्र आलम निवासी ग्राम तैलिया घाट, थाना बन्दमयी टेरी, जिला सहरसा, बिहार, हाल पता ग्राम नगली वाजिदपुर, किराये का मकान, थाना एक्सप्रेसवे, नोएडा, उम्र 22 वर्ष।

गिरफ्तार अभियुक्तों का अपराधिक इतिहास--

- **महेन्द्र पुत्र वेदप्रकाश**

मु0अ0सं0-88/2026 धारा 317(5) बीएनएस, थाना सेक्टर-142, पुलिस कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।
मु0अ0सं0-121/2021 धारा 188/269/270 भादवि, थाना एक्सप्रेसवे, पुलिस कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।

- जुनैद उर्फ बिट्टू पुत्र आलम

मु0अ0सं0-88/2026 धारा 317(5) बीएनएस, थाना सेक्टर-142, पुलिस कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।
मु0अ0सं0-444/2021 धारा 60/63 आबकारी अधिनियम, थाना एक्सप्रेसवे, पुलिस कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।
मु0अ0सं0-198/2022 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट, थाना एक्सप्रेसवे, पुलिस कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।

मु0अ0सं0-163/2023 धारा 379/411/34 भादवि, थाना एक्सप्रेसवे, पुलिस कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।
मु0अ0सं0-165/2023 धारा 4/25 आयुध अधिनियम, थाना एक्सप्रेसवे, पुलिस कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।
मु0अ0सं0-203/2024 धारा 3/25 आयुध अधिनियम, थाना एक्सप्रेसवे, पुलिस कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।
मु0अ0सं0-40/2025 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट, थाना एक्सप्रेसवे, पुलिस कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।
मु0अ0सं0-709/2015 धारा 380 भादवि, थाना सेक्टर-39, पुलिस कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी का विवरण--
18 मोबाइल फोन
02 लैपटॉप
01 टैबलेट
01 इलेक्ट्रिक स्कूटी

2. थाना फेस-1 पुलिस व नारकोटिक्स टीम के संयुक्त प्रयास से अवैध मादक पदार्थों की बिक्री करने वाला 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 430 ग्राम अवैध चरस व एक कार बरामद।

कार्यवाही का विवरण-- थाना फेस-1 पुलिस व नारकोटिक्स टीम के संयुक्त प्रयास से दिनांक **15.05.2026** को 01 अभियुक्त कुनाल बौद्ध पुत्र दोरजे बौद्ध को झुंडपुरा बॉर्डर, सेक्टर-8 से एक कार मारुति सुजुकी सेलेरियो रंग सफेद, रजिस्ट्रेशन नंबर यूपी 32 एचए 0171 में 430 ग्राम अवैध चरस के साथ **गिरफ्तार** किया गया। बरामदगी के आधार पर थाना फेस-1 नोएडा पर मु0अ0सं0 217/2026 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया है। बरामद चरस की अनुमानित कीमत लगभग ₹1,15,000/- है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण--
कुनाल बौद्ध पुत्र दोरजे बौद्ध निवासी ग्राम सुराद, थाना भुंतर, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश, उम्र 23 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग का विवरण--
मु0अ0सं0 217/2026 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट, थाना फेस-1 नोएडा, गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी का विवरण--
430 ग्राम अवैध चरस बरामद।
एक कार मारुति सुजुकी सेलेरियो, रंग सफेद, रजिस्ट्रेशन नंबर यूपी 32 एचए 0171 (परिवहन में प्रयुक्त)।

3. थाना सेक्टर-39 नोएडा पुलिस द्वारा कार में लिफ्ट देकर सवारियों को बैठाकर यूपीआई एवं एटीएम के माध्यम से पैसे ट्रांसफर कराने वाले 05 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से अवैध शस्त्र एवं फर्जी नम्बर प्लेट लगी एक अर्टिगा कार बरामद।

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक **15.05.2026** को **थाना सेक्टर-39 नोएडा पुलिस** द्वारा कार में लिफ्ट देकर सवारियों को बैठाकर यूपीआई एवं एटीएम के माध्यम से पैसे ट्रांसफर कराने वाले 05 अभियुक्तों 1. नसीम अली पुत्र साबिर अली 2. अभिषेक कुमार पुत्र अशोक कुमार 3. विवेक पुत्र शम्भू प्रसाद सिंह 4. कार्तिक ठाकुर पुत्र राजीव सिंह 5. मनोज कुमार पुत्र केदार केवट को स्टेलर ग्रीन पार्क के पास से **गिरफ्तार** किया गया है।

(पूछताछ का विवरण)-- अभियुक्तों से पूछताछ करने पर बताया गया कि हम एनसीआर क्षेत्र में अर्टिगा कार में लिफ्ट देकर सवारियों को बैठा लेते हैं और उन्हें अवैध शस्त्र दिखाकर डरा-धमकाकर सवारियों से एटीएम एवं यूपीआई के माध्यम से पैसे ट्रांसफर करा लेते हैं तथा सवारियों के साथ मारपीट कर सुनसान स्थान पर छोड़ देते हैं।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण--

1- नसीम अली पुत्र साबिर अली निवासी किराये का मकान हल्दौनी, थाना इकोटेक-3, गौतमबुद्धनगर, मूल निवासी ग्राम अर्जुनी सिमरई, थाना राजा का रामपुर, जिला एटा, उम्र 23 वर्ष।
2- अभिषेक कुमार पुत्र अशोक कुमार निवासी चोटपुर कॉलोनी, छिजारसी, थाना सेक्टर-63, गौतमबुद्धनगर, मूल पता ग्राम नंगला गोपालवाद, थाना नालंदा, जिला नालंदा (बिहार), उम्र 21 वर्ष।
3- विवेक पुत्र शम्भू प्रसाद सिंह निवासी गली नं0 01, पशुराम मंदिर के पास, छिजारसी, थाना सेक्टर-63, गौतमबुद्धनगर, मूल निवासी ग्राम किशनपुर बैकुंठ, थाना वारिसनगर, जिला समस्तीपुर (बिहार), उम्र 19 वर्ष।
4- कार्तिक ठाकुर पुत्र राजीव सिंह निवासी किराये का मकान, आश्रम रोड, छिजारसी, थाना सेक्टर-63, गौतमबुद्धनगर, उम्र 18 वर्ष।
5- मनोज कुमार पुत्र केदार केवट निवासी छिजारसी, थाना सेक्टर-63, जनपद गौतमबुद्धनगर, उम्र 18 वर्ष।

- **अभियुक्त नसीम अली का आपराधिक इतिहास--**

मु0अ0सं0- 025/2026 धारा 309(6), 317(2) बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट, थाना इकोटेक तृतीय, गौतमबुद्धनगर।
मु0अ0सं0- 027/2026 धारा 109, 317(5) बीएनएस व 3, 25, 27 आर्म्स एक्ट, थाना इकोटेक तृतीय, गौतमबुद्धनगर।
मु0अ0सं0- 212/2026 धारा 345(3) बीएनएस व 3/4/25 आर्म्स एक्ट, थाना सेक्टर-39, गौतमबुद्धनगर।

- **अभियुक्त अभिषेक कुमार का आपराधिक इतिहास--**

मु0अ0सं0- 212/2026 धारा 345(3) बीएनएस व 3/4/25 आर्म्स एक्ट, थाना सेक्टर-39, गौतमबुद्धनगर।

- **अभियुक्त विवेक का आपराधिक इतिहास--**

मु0अ0सं0- 212/2026 धारा 345(3) बीएनएस व 3/4/25 आर्म्स एक्ट, थाना सेक्टर-39, गौतमबुद्धनगर।

अभियुक्त कार्तिक ठाकुर का आपराधिक इतिहास--

मु0अ0सं0- 212/2026 धारा 345(3) बीएनएस व 3/4/25 आर्म्स एक्ट, थाना सेक्टर-39, गौतमबुद्धनगर।

- **अभियुक्त मनोज कुमार का आपराधिक इतिहास--**

मु0अ0सं0 212/2026 धारा 345(3) बीएनएस व 3/4/25 आर्म्स एक्ट, थाना सेक्टर-39, गौतमबुद्धनगर।
मु0अ0सं0 363/2025 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट, थाना सेक्टर-63, गौतमबुद्धनगर।
मु0अ0सं0 211/2025 धारा 60/63 आबकारी अधिनियम, थाना सेक्टर-63, गौतमबुद्धनगर।
मु0अ0सं0 137/2025 धारा 8, 20, 29 एनडीपीएस एक्ट, थाना सेक्टर-63, गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी का विवरण--

दो अवैध तमंचे .315 बोर (अभियुक्त नसीम एवं अभिषेक के कब्जे से बरामद)
तीन अवैध चाकू (अभियुक्त विवेक, कार्तिक ठाकुर एवं मनोज कुमार के कब्जे से बरामद)
फर्जी नम्बर प्लेट लगी एक अर्टिगा कार

4. थाना फेस-2 नोएडा पुलिस द्वारा दुकानदारों को अपने विश्वास में लेकर एवं ऑनलाइन फर्जी पेमेन्ट दिखाकर इलेक्ट्रॉनिक उपकरण आदि पोर्टर के माध्यम से धोखाधड़ी करने वाला 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 16 AC, 01 फ्रिज, 01 कूलर, 01 LED T.V व नकद 2440 रूपये बरामद।

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक **15.05.2026** को **थाना फेस-2 पुलिस** द्वारा लोकल इंटेलिजेंस व गोपनीय सूचना की सहायता से मु0अ0सं0 194/2026 धारा 318(4) बीएनएस की घटना का सफल अनावरण हेतु अभियुक्त समीर अंसारी पुत्र मेहराज अंसारी को बी.एप.एल कट के पास बन्द पडी कम्पनी से **गिरफ्तार** किया गया है। अभियुक्त के कब्जे से मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित 16 AC, 01 फ्रिज, 01 कूलर, 01 LED T.V व नकद 2440 रूपये नकद बरामद किये गये है।

अपराध का तरीका-- अभियुक्त द्वारा एनसीआर क्षेत्र में घूम-फिरकर दुकानदारों को अपने विश्वास में लेकर फर्जी पेमेन्ट दिखाकर उनकी दुकान पर रखे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ए.सी इनडोर व आउटडोर, फ्रिज, कूलर व LED

T.V पोर्टर के माध्यम से उपरोक्त सामान को लेकर दुकानदारों के साथ विश्वासघात एवं धोखाधड़ी कर फरार हो जाता था।

अभियुक्त का विवरण-- समीर अंसारी पुत्र मेहराज अंसारी निवासी शास्त्री पार्क, थाना शास्त्री पार्क, नई दिल्ली वर्तमान पता कासिम विहार, ग्राम सबापुर, थाना ट्रोनिका सिटी, जिला गाजियाबाद उम्र करीब 21 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग का विवरण-- मु0अ0सं0 194/2026 धारा 318(4)/317(2) बीएनएस थाना फेस-2, गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी का विवरण--

1- 13 A.C INDOOR
2- 13 A.C OUTDOOR
3- 03 Window Ac
4- 01 फ्रिज व 01 कूलर
5- 01 LED T.V
6- 2440 रूपये